विजय कुमार, आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र सं० - 20 /2023 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010

दिनांकःजून 15,2023

विषयः प्रार्थना पत्र (धारा-482 Cr.P.C.) संख्या-43739/2022 भगौती प्रसाद व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 13.04.2023 के अनुपालन में पॉक्सों अधिनियम के अपराध के अभियुक्तों द्वारा योजित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-482 Cr.P.C. की नोटिस पीड़ित, उसके संरक्षकों तथा अन्य को तामील कराये जाने के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र सं0-31/2021 तथा 39/2021 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि क्रिमिनल मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 के अनुपालन हेतु डीजी परिपत्र संख्या-31/2021 तथा 39/2021 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे तथा इस कार्य हेतु समयसीमा (Time Line)भी निर्धारित की गयी थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-482 Cr.P.C. संख्या-43739/2022 उपरोक्त में पारित आदेश दिनांकित 13.04.2023 द्वारा पॉक्सों अधिनियम के अपराध के अभियुक्तों द्वारा योजित "प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-482 Cr.P.C." की नोटिस पीड़ित, उसके संरक्षकों तथा अन्य को तामील कराये जाने के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्या-31/2021 तथा 39/2021 का अनुपालन किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है:-

- 1. Instant application under Section 482 Cr.P.C. has been filed by the applicants challenging chargsheet no. 01 of 2022, dated 03.10.2022, 'State v. Bhagauti Prasad and others' along with summoning order dated 15.11.2022 issued by Additional Sessions Judge/ Special Judge, POCSO Act, Basti, arising out of Case Crime No. 197 of 2022, under Sections 147, 354 (kha), 323, 504, 506 IPC and 7/8 Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, Police Station Sonaha, District Basti.
- 2. A coordinate Bench of this Court in the case of Junaid v. State of U.P. and another 1, has considered the need of issuance of notice to the victim before hearing the bail applications arising out of offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. With regard to performance of duties in absence of specific time period in a Statute, the Court referring a judement of the Supreme Court in the case of Regional Provident Fund Commissioner v. K.T. Rolling Mills Pvt. Ltd.2, a judgement of this Court in the case of Ajeet Chaudhary v. State of U.P.3 and the provisions for service of notice in the Allahabad High Court Rules, 1952, issued certain directions framing timeline to execute the different statutory functions by the concerned authorities with regard to information and service of notice upon the victim in the matters pertaining to Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

3. Taking note of the necessity of issuance of notice to the victim in the matters filed under Sections 482 Cr.P.C. before this Court arising out of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, this Court finds it appropriate to adopt the timeline as prescribed for the purposes of service of notice upon the victim in bail

applications in Junaid (supra).

- 4. In view of the aforesaid, the Registrar General of this Court is directed to issue necessary circular with respect to the directions at the level of Registry to be followed in applications filed under Section 482 Cr.P.C. arising out of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, as issued for bail applications in Junaid (supra).
- 5. Learned Government Advocate shall also adhere to the timeline issued in Junaid (supra) with regard to service of notice upon the victim, ensuring that same be followed in the matters filed under Section 482 Cr.P.C., also, arising out of offences under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 13.04.2023 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-955/6-पु0-14-20-50(07)/21 दिनांकित 07.09.2021 तथा डीजी परिपत्र संख्या-31/2021 तथा 39/2021 (छायाप्रतियाँ संलग्न) के अनुपालन में पॉक्सों अधिनियम के अभियुक्तों द्वारा योजित जमानत प्रार्थना पत्र का तामीला पीड़ित, उसके संरक्षक तथा बाल कल्याण समिति को एक निर्धारित समय सीमा (Time Line) के अनुसार कराया जा रहा है। मा० उच्च न्यायालय में भगौती प्रसाद व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा पॉक्सों अधिनियम के अभियुक्तों द्वारा योजित "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-482 Cr.P.C." का तामीला भी उपरोक्तानुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.04.2023 उपरोक्त के अनुपालन में पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्तों द्वारा योजित "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-482 Cr.P.C." का तामीला भी पीड़ितों, उनके संरक्षकों तथा अन्य को डीजी परिपत्र संख्या-31/2021 तथा 39/2021 में दिये गये निर्देशों एवं निर्धारित समयसीमा (Time Line) के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय.

(विजय कमार)

- पुलिस आयुक्त,
 किमश्ररेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
- 2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :---

- 1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध),उ०प्र० लखनऊ।
- 2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ०प्र० लखनऊ।
- 3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ०प्र० लखनऊ।
- 4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ०प्र० लखनऊ।
- 5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।